प्रकरण संख्या 2/2018 रामसिंह बनाम गणेशलाल उर्फ गुणेशलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.01.2019	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध दिनांक 08.04.2016 को एकतरफा कार्यवाही किये जाने का निर्णय होने के बाद पत्रावली प्रतिवादी संख्या 2 सरकार के जवाब में दिनांक 20.04.2017 को दिनांक 08.05.2017 के लिए तय की गयी थी, परन्तु उसके स्थान पर वादी/अपीलान्ट को सूचित किये बिना दिनांक 11.05.2017 को पत्रावली लोक अदालत में रखी जाकर वादी/अपीलान्ट की अनुपस्थिति में यह वर्णित करते हुए कि प्रतिवादी गणेशलाल की काफी वर्षो पहले मृत्यु हो चुकी है तथा पटवारी हल्का द्वारा पर्चा मौका बनाकर भी पेश किया गया। गणेशलाल ग्राम मजा से करीब 70—80 साल पहले चला गया तथा 50 वर्ष पूर्व उसकी मृत्यु हो चुकी है। यह वाद मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध पेश किया गया है, जो नियमानुसार विधि से बाधित होने चलने योग्य नहीं है एवं इस आधार पर वाद खारिज कर दिया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के लिए यह लाजमी था कि वह प्रकरण में जिस व्यक्ति के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर चुके हैं यदि उसकी मृत्यु की कोई सूचना लोक अदालत को प्राप्त होती है तो इस हेतु अपीलान्ट/वादी को सूचित कर प्रकरण में विधिक प्रक्रिया अपनाकर निर्णय पारित करते, जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना सरसरी आधार पर वाद खारिज कर दिया है जो प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध है। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वादी/अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए प्रकरण में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.03.2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 08.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	